भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2588
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल

2588. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र में पात्र किसानों के नए पंजीकरण पीएम-किसान सम्मान निधि पोर्टल पर अभी भी लंबित हैं, जबकि सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पंजीकरण शुरू करने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो इन पात्र किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने में लगातार हो रही देरी के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार राज्य सरकार के साथ समन्वय करके, कब तक पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने और लंबित मामलों को निपटाने की योजना बना रही है;

(घ) क्या सरकार ने किसानों, विशेषकर पुणे और विदर्भ क्षेत्रों के किसानों, जिन्हें उक्त योजना से बाहर किए जाने के कारण वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा है, को मुआवजा देने या सहायता प्रदान करने के लिए कोई अंतरिम उपाय करने की योजना बनाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि सभी पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना के अंतर्गत समय पर और पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाए?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारक होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आय वर्ग से संबंधित कुछ अपवादों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे । लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 20 किस्तों के माध्यम से अब तक रुपए 3.90 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है।

इस योजना में किसानों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है और यह महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों के लिए खुला है। किसान पीएम-किसान पोर्टल, पीएम-किसान

ऐप और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उचित सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है। जिन मामलों में आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज़/विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, उन मामलों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदन के बाद, विभाग द्वारा लाभ की प्रक्रिया तुरंत शुरू की दी जाती है और अगली किस्त में राशि जारी कर दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे, भारत सरकार प्रायः राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सैचुरेशन ड्राइव चलाती है। 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत एक बड़ा राष्ट्रव्यापी सैचुरेशन ड्राइव चलाया गया, जिसके दौरान 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत, लगभग 25 लाख और पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, लंबित स्व-पंजीकरण निपटान के लिए सितंबर 2024 से एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत से, दिनांक 30.11.2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 30 लाख से अधिक लंबित स्व-पंजीकरण मामलों को अनुमोदन दिया जा चुका है।

*****